



Buld Green, Live Green!
CIN:U45200BR2008SGC013513

Ganga Kumar

Managing Director

Bihar State Building Construction Corporation Ltd.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

Special Secretary

Building Construction Department

Govt. of Bihar

Additional Chief Executive Officer,

Bihar Foundation



पत्रांक-बी0एस0बी0सी0सी0एल0-188/2015 (प्रशासन)- 2120 (अनु०)
सेवा में,

दिनांक- 03/07/15

OSD(HLC)

सरकार के प्रधान सचिव

-सह-

सदस्य सचिव,

उच्च स्तरीय समिति,

सामान्य प्रशासन विभाग,

बिहार सरकार, पटना।

विषय-समितिके समक्ष संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा नियमितकरण करने से संबंधित वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ-सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या-उ0स्त0स0/सा0प्र0-01/2015-सा0प्र0-002/पटना-15,

दिनांक-19.05.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के निगम मुख्यालय में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा नियमितकरण पर विचारण हेतु उच्चस्तरीय समिति के समक्ष संबंधित वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु बिन्दुवार विस्तृत प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनु०-यथोक्त।

DTM. GAN
Re scanned
Cam
14/7/15

310-451
14/7/15

विश्वासभाजन

(गंगा कुमार)

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना (निगम मुख्यालय) में संविदा पर नियोजित

पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की माँगी गई वांछित सूचना के अनुसार विवरणी निम्नवत् है-

क्र० सं०	माँग की गई सूचना	माँगी गई सूचना की विवरणी	अभ्युक्ति
1	प्रत्येक पद जिसपर नियोजन किया गया है, का पदनाम।	महाप्रबंधक (तकनीकी), उप महाप्रबंधक (विद्युत), कम्पनी सचिव, वरीय वास्तुविद्, सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी), सहायक महाप्रबंधक (वित्त), सहायक वास्तुविद्, आंतरिक सज्जाकार, परियोजना प्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधक, आप्त सचिव, निजी सहायक, कनीय अभियंता (सिविल), कनीय अभियंता (विद्युत), सहायक, लेखापाल-सह-रोकड़पाल, आशुलिपिक, ड्राफ्टमैन, ऑटो कैड ऑपरेटर एवं कार्यालय सहायक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर।	अनुलग्नक- I (पृ०सं०-01 से 02)
2	पदवार कुल नियोजित कर्मियों एवं कुल कार्यरत कर्मियों की संख्या।	निगम में कुल सृजित पदों की संख्या-416 निगम मुख्यालय में कुल कार्यरत कर्मियों की संख्या-29	अनुलग्नक- II (पृ०सं०-03)
3	किस योजना/परियोजना इत्यादि के लिए यह नियोजन किया गया था तथा क्या यह योजना केन्द्रीय या राज्य की योजना थी ?	केन्द्रीय एवं राज्य की योजना।	
4	नियोजन का पद किस श्रेणी का है (समूह 'ख' 'ग' एवं 'घ')	पद का श्रेणी - 'ख' एवं 'ग'	
5	क्या यह पद स्वीकृत था ? अगर हाँ तो स्वीकृत्यादेश/पद सृजन आदेश।	हाँ, राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में स्वीकृति के पश्चात् भवन निर्माण विभाग के संकल्प संख्या-भ०/स्था०१-विविध-744/07-854(भ), दिनांक-31.01.2008, संकल्प संख्या-भवन/स्था. 01-विविध-744 / 2007-3616(भ), दिनांक-10.05.2010 एवं भवन निर्माण विभाग के पत्रांक संख्या- भवन/स्था. 01-विविध-979 / 2014 / 10713(भ) दिनांक-13.10.2014 के द्वारा।	अनुलग्नक- III (पृ०सं०-04 से 17)
6	क्या प्रत्येक बार का नियोजन रिक्ति के विरुद्ध हुआ था अथवा नहीं ?	हाँ, प्रत्येक बार का नियोजन रिक्ति के विरुद्ध हुआ है।	
7	नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन/नोटिस इत्यादि की छायाप्रति (प्रत्येक पद के लिए जितने बार नियोजन किया गया है, उन सब की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाए)।	प्रत्येक बार का नियोजन सूचना एवं जन सर्मर्क विभाग के माध्यम से समाचार पत्रों एवं निगम के वेब-साईट में प्रकाशित विज्ञापनों के आधार पर हुआ है।	अनुलग्नक- IV (पृ०सं०-18 से 54)
8	नियोजन हेतु चयन की प्रक्रिया।	प्रत्येक पदों के नियोजन हेतु चयन की प्रक्रिया विज्ञापन प्रकाशित उपरान्त लिखित एवं साक्षात्कार के आधार तैयार मेघा सूची के आधार पर होती है।	
9	पदवार निर्धारित न्यूनतम अहर्ता।	पदवार निर्धारित न्यूनतम अहर्ता की छायाप्रति संलग्न।	अनुलग्नक- V (पृ०सं०-55 से 56)

10	क्या नियोजित कर्मी वांछित पदीय अहर्ता रखते थे अथवा नहीं।	हाँ, प्रत्येक नियोजित कर्मी वांछित पदीय अहर्ता रखते थे।	
11	नियोजन के समय आरक्षण अधिनियम का पालन हुआ है अथवा नहीं।	हाँ, प्रत्येक नियोजन के समय आरक्षण अधिनियम का पालन हुआ है।	
12	नियोजन हेतु 'नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी।	प्रत्येक नियोजन हेतु चयन समिति अध्यक्ष के रूप में मुख्य महाप्रबंधक नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी हैं।	
13	उपर्युक्त 'नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी' को नियोजन की तिथि को इस प्रकार के नियोजन की शक्ति प्रदत्त थी अथवा नहीं।	प्रत्येक नियोजन हेतु 'नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी' को नियोजन की तिथि को निगम के निदेशक पर्वद के 9वीं बैठक की कार्यवाही के आलोक में गठित चयन समिति के सदस्यों को नियोजन लेने हेतु शक्ति प्रदत्त थी।	अनुलग्नक- VI (पृ0सं0-57 से 65)
14	नियोजन पत्र/अनुबंध पत्र का नमूना (प्रत्येक पदवार की नियोजन प्रक्रिया के लिए)।	अनुबंध का प्रति संलग्न।	अनुलग्नक- VII (पृ0सं0-66 से 67)
15	प्रथम नियोजन के समय निर्धारित नियोजन अवधि।	एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर।	
16	प्रत्येक सेवावधि विस्तार हेतु निर्धारित मानक।	एकरारित अवधि में सेवा संतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में सेवा विस्तार किया जाता है।	
17	प्रत्येक सेवावधि विस्तार आदेश का नमूना।	संबंधित कर्मी के निजी संचिका से एवं कार्यालय आदेश के द्वारा की जाती है।	
18	प्रत्येक पदवार मानदेय/वेतन/Consolidated Pay इत्यादि की भुगतये राशि।	प्रत्येक पदवार की वर्तमान मानदेय की छायाप्रति संलग्न।	अनुलग्नक- VIII (पृ0सं0-68 से 69)
19	जिस शीर्ष/मद से भुगतान हो रहा है, उसकी विवरणी।	सभी नियोजित कर्मियों का मानदेय भुगतान निगम के सेन्ट्रल खाता के स्थापना मद से होती है।	
20	जिस नियमावली/संकल्प/परिपत्र के अर्न्तगत इन पदों पर नियोजन की प्रक्रिया हुई है, उनकी छायाप्रति (मूल एवं सभी संशोधनों के साथ)	प्रत्येक बार की नियोजित होने वाली परीक्षा की लिखित एवं साक्षात्कार के आधार तैयार मेघा सूची के आधार पर निगम के द्वारा निर्गत पत्रों के आधार पर प्रक्रिया पूर्ण हुई है।	अनुलग्नक- IX (पृ0सं0-70 से 87)

अनु0-कुल 87 पन्ने।

****ज्ञापन/प्रतिवेदन के साथ प्राप्त सभी अनुलग्नक कार्यालय में Hard Copy में संधारित है।**